जग-मग होता देश

देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का सरकार का संकल्प लगभग पूरा हो चुका है. वर्ष 2014 में ऐसे ढाई करोड़ घरों को विद्युतीकरण के लिए चिह्नित किया गया था. अब छत्तीसगढ़ में 20,134 और राजस्थान में 8,460 घर ही बचे हैं, जहां मार्च तक बिजली पहुंच जाने की उम्मीद है. सौ फीसदी घरों को कनेक्शन देना सरकार की प्राथमिकता रही है. इसके लिए सितंबर, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी. इसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी कहा जाता है. दिसंबर, 2018 तक ही इस लक्ष्य को पूरा किया जाना था, पर तीन महीने की देरी बहुत अधिक नहीं है और इस कामयाबी के लिए सरकार की कोशिशें सराहनीय हैं. पिछले साल अपनी सालाना रिपोर्ट में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी विद्युतीकरण योजना की प्रशंसा कर चुकी है. उस रिपोर्ट में उज्जवला योजना के साथ इस पहल को ग्रामीण भारत और गरीब आबादी के सशक्तीकरण में अहम योगदान के रूप में रेखांकित किया गया है, परंतु इस संदर्भ में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं. कनेक्शन देने के साथ बेहतर आपूर्ति तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. गांवों और कस्बों में बिना सही मीटरों के बिजली उपभोग करने और शुल्क देने की परिपाटी बदस्तूर जारी है. इसके अलावा कुछ घंटे बिजली मिलने की शिकायतें भी आम हैं. दूसरी बात यह है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन को ठीक किया जाये. मौजूदा आकलनों के मुताबिक, ताप बिजली उत्पादन क्षेत्र में ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है. विद्युत क्षेत्र को मुश्किल से उबारने के लिए बनी उदय योजना के लक्ष्य से इस क्षेत्र में ज्यादा तकनीकी और वित्तीय नुकसान है. ऐसे में निजी क्षेत्र में नये संयंत्र की संभावना काफी कम है. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होने तथा औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए मांग में बढ़ोतरी स्वाभाविक है, लेकिन उसे पूरा करने में उत्पादकों को बहुत दिक्कत हो सकती है. ऐसे में बिजली दरों में बढ़त की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. संतोष की बात है कि भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता बढ़ाने में लगातार ध्यान दे रहा है. यदि बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को छोड़ दें, तो 2014 में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव-एथेनॉल आदि) से छह करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता था. अब यह क्षमता लगभग डेढ़ गुना बढ़ चुकी है. बीते कुछ सालों में सौर ऊर्जा उत्पादन में आठ गुना और पवन ऊर्जा में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है. ऐसे ऊर्जा स्रोतों की जरूरत न सिर्फ बिजली की मांग पूरी करने के लिए है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर रोक के लिहाज से भी है. हॉर्वर्ड विवि के हालिया शोध के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देकर भारत में हर साल एक करोड़ से अधिक जानें बचायी जा सकती हैं. वर्तमान संकेतों की मानें, तो सरकार की संतुलित ऊर्जा पहल आगामी वर्षों में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होगी.

भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता बढ़ाने में लगातार ध्यान दे रहा है. बीते कुछ सालों में सौर ऊर्जा उत्पादन में आठ गुना और पवन ऊर्जा में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है.

नीति-निर्धारण में जनभागीदारी

मनींद्र नाथ ठाकुर
एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू
manindrat@gmail.com

जनतंत्र का नया दौर आनेवाला है. इस नये दौर में सरकारों को नीति-निर्धारण में जनभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी. केवल पांच साल में एक बार चुनी हुई सरकार से अब काम नहीं चलनेवाला है. जनतंत्र के लिए एक निश्चित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव, सभी वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार आवश्यक शर्त तो है, लेकिन इसे यथेष्ट नहीं कहा जा सकता है. इस बात को राजनीतिक दलों और सरकारों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अन्यथा नीतियों को शांतिपूर्वक लागू करना संभव नहीं है. सरकारों को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि उनके चुनाव से उन्हें केवल एक ट्रस्टी बनाया गया है और संविधान के अनुसार उन्हें काम करने की जरूरत है.

जनभावनाओं को जानने का एकमात्र उपाय चुनाव नहीं हो सकता है. दरअसल, आधुनिक जनतंत्र इस सिद्धांत पर टिका है कि कोई एक व्यक्ति बहुत से लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है. एक बार लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, तो उनका निर्णय लेने का अधिकार उस एक व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाता है. अब उसका दायित्व है कि उसके निर्णयों में लोगों का मत परिलक्षित हो. शायद पहले यह संभव था, क्योंकि लोगों की समस्याएं एक जैसी होती थीं और लोग अपनी समस्याओं को लेकर कम जागरूक थे. अब समय बदल गया है. विकास के क्रम में समाज में अनेक समूह बन गये हैं या यूं कहें कि अनेक समूह मुखर हो गये हैं. चुनाव के दौरान कुछ मुद्दे ही प्रमुख हो जाते हैं. हो सकता है कि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण न भी हों, लेकिन मीडिया और दलों के आपसी ताल-मेल से उन्हें ज्यादा महत्व मिल जाये और मतदाता उसे महत्वपूर्ण मान कर मतदान कर दें. लेकिन, चुनाव के बाद सामान्य स्थिति में लोगों की अपनी समस्याएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं. यह भी संभव है कि जनप्रतिनिधियों की उनमें कोई रुचि न हो. सामान्य तौर पर यदि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत सही काम करता, तो ऐसा नहीं होता. लेकिन, सच यह है कि किसी तरह चुनाव जीत लेने के बाद जनप्रतिनिधि स्वार्थ रंजित हो जाते हैं और पूंजीपतियों, ठेकेदारों, नौकरशाहों से ज्यादा नजदीक हो जाते हैं. यही कारण है कि चुनाव के तुरंत बाद ही लोगों में असंतोष फैलने लगता है, जो धीरे-धीरे आंदोलन का रूप लेने लगता है. फिर सरकार उसे दबाने की कोशिश में लग जाती है.

जनतंत्र का यह स्वरूप बहुत दिनों तक चलनेवाला नहीं है. क्योंकि इन आंदोलनों को दबाने के लिए सरकारें बल प्रयोग करती हैं. इसलिए अब समय आ गया है कि प्रतिनिधित्व की समझ और तौर-तरीके में भी बदलाव लाया जाये. समस्याओं के आधार पर एकजुट हुई जनता के साथ सरकारों का सीधा संवाद होना जरूरी है. व्यवस्था में कुछ इस तरह का परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि नीति-निर्धारण केवल जनप्रतिनिधियों पर निर्भर न करे, बल्कि प्रभावित जनता की भी उसमें हिस्सेदारी हो.

> जनतंत्र की खासियत यही है कि समस्याओं का समाधान जनसहयोग से निकाला जाए, तो बेहतर. प्रतिनिधित्व मात्र से जनतंत्र सफल नहीं हो सकता है, जनभागीदारी भी बहुत आवश्यक है.

इस तरह की हिस्सेदारी के कई सफल प्रयोग दुनिया में हुए हैं. ब्राजील के समाजवादी सरकार ने इसी मॉडल पर बजट बनाने का प्रयोग किया था, जो काफी सफल रहा था. दिल्ली में भागीदारी योजना के तहत नीति-निर्धारण में शहर के आवासीय संघों को हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित किया गया था. इस तरह की भागीदारी से विकास के मुद्दे तो सामने आते ही हैं, जनसहमति के कारण काम भी आसानी से होता है.

इसी तरह की भागीदारी की व्यवस्था छात्रों और किसानों के साथ भी होनी चाहिए. नयी आर्थिक नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित ये दोनों वर्ग ही हैं. हाल में देश की राजधानी में इन दोनों समूहों के द्वारा किये गये विशाल प्रदर्शन से साबित होता है कि इनके लिए बनायी जा रही सरकारी नीतियों से इनमें बेहद असंतोष है. बिहार के सीमांचाल क्षेत्र के किसानों को ही लें. पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में मक्के की उपज में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही नयी समस्याएं भी पैदा हो गयी हैं. मक्के में काफी पूंजी की जरूरत होती है, जिसके लिए किसान कर्ज लेते हैं. इस इलाके में बड़े पैमाने पर गोदामों का निर्माण हुआ है. लेकिन इसका फायदा केवल बिचौलियों को होता है. इस बार किसानों को तो नौ सौ से हजार-बारह सौ रुपये तक में फसल बेचनी पड़ी, जबकि अभी मक्के की कीमत लगभग दो हजार प्रति क्विंटल है. ऐसे में लागत तो बढ़ जाती है, क्योंकि मजदूरी और खाद की कीमत बढ़ जाती है. किसान अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद में उधार लेकर पूंजी लगा देता है. लेकिन, फसल काटने पर कीमत गिर जाती है. सरकार को किसानों से संवाद कर लागत को कम करने, कम ब्याज दर पर उचित कर्ज मुहैया करने के साथ-साथ सही कीमत पर सरकारी खरीद की व्यवस्था करनी चाहिए. जिस तरह धान की खरीद के लिए कृषक सहकारिता संगठनों की मदद ली जाती है, मक्के के लिए भी ऐसी व्यवस्था बने.

किसानों की कर्जमाफी पर भी इसी तरह व्यापक संवाद की जरूरत है. यह समझना जरूरी है कि किसानों की सही आवश्यकता क्या है और उन्हें कर्ज में डूबने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि लागत को नियंत्रण में रखा जाये और फसल की सही कीमत सही समय पर मिल जाये, तो शायद कर्जमाफी की जरूरत ही न पड़े.

इसी तरह यदि सरकार किसी क्षेत्र में बांध बनाने की योजना बनाये, तो सबसे पहले जिसके फायदे की उम्मीद से इसे बनाया जाना है, उनसे संवाद कर ले. कई बार सरकारी योजनाओं के बनानेवालों को इसके सभी आयामों का अंदाजा नहीं होता है, फिर सरकारी पैसे का अपव्यय हो जाता है. जिसके फायदे में सोच कर इसे बनाया गया था, उनके ही लिए यह अभिशाप हो जाता है.

ऐसी ही एक समस्या युवाओं की है. केंद्रीय या राज्य सरकारों के पास कोई ठोस युवा नीति ही नहीं है. कभी छात्रों से यह पूछा ही नहीं जाता है कि विश्वविद्यालयों में उनकी क्या समस्या है. उनकी रोजगार की समस्या पर उनसे कभी कोई सरकार संवाद ही नहीं करती है. यदि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो क्या यह राज्य का दायित्व नहीं है कि हर युवा को उसकी योग्यता के आधार पर शिक्षा मिल सके? उसकी जाति, उसका धर्म या उसकी आर्थिक बदहाली उसके रास्ते में बाधक न हो. भारत की विशाल युवा जनसंख्या को यदि हम शिक्षा और रोजगार नहीं दे पाये, तो इस जनतंत्र की हम रक्षा भी नहीं कर पायेंगे.

यह तय है कि इन समस्याओं का समाधान आसान नहीं है, लेकिन जनतंत्र की खासियत यही है कि समस्याओं का समाधान जनसहयोग से निकाला जाये, तो बेहतर. प्रतिनिधित्व मात्र से जनतंत्र नहीं सफल हो सकता है, जनभागीदारी भी बहुत आवश्यक है.

हिंद-प्रशांत की उभरती अवधारणा

राजीव रंजन चतुर्वेदी
विजिटिंग फेलो, नानयांग टेक्नोलॉजिकल विवि, सिंगापुर
israjeev.C@ntu.edu.sg

> हिंद-प्रशांत की इस अवधारणा पर भिन्न-भिन्न दृष्टि होते हुए भी उसके मुख्य संगठनात्मक सिद्धांतों पर सबकी सहमति दिखती है, जो बड़ी शक्तियों के साथ ही इस विशाल सामुद्रिक क्षेत्र के चारों ओर बसे देशों के आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी रिश्तों को गुंफित करते हैं.

विदेश नीति एवं रक्षा समुदायों तथा टिप्पणीकारों के बीच चर्चा हेतु हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) की अवधारणा एक अपरिहार्य विषय बन गयी है. अलबत्ता, उनमें से हरेक व्यक्ति इस विचार से जूझते हुए इस पर गौर कर रहा है कि किस तरह यह परिवर्तित विवेचना उस विशाल सामुद्रिक फैलाव को प्रभावित करेगी, जो अभी एक लगातार बदलती स्थिति में है.

इस अवधारणा की प्रकृति एवं व्यापकता को लेकर विविध दृष्टि है, जिससे इस क्षेत्र के कई देशों में इस विकसित होते भू-राजनीतिक मॉडल को लेकर दिलचस्पी का अभाव भी दिखता है. आसियान अध्ययन केंद्र के एक सर्वेक्षण के द्वारा 'दक्षिणपूर्व एशिया की स्थितिः 2019' पर दक्षिणपूर्व एशियाई लोगों के विचार लिये गये. इसके प्रश्नों में एक था कि आप हिंद-प्रशांत की अवधारणा को किस रूप में देखते हैं? कुल 61.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी दृष्टि में यह अवधारणा अस्पष्ट है तथा इसे और भी साफ किये जाने की जरूरत है.

इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि बहुतों के मन में इस अवधारणा के प्रच्छन्न उद्देश्य को लेकर शंकाएं भी हैं, क्योंकि लगभग एक-चौथाई (25.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यह कहा कि इसका उद्देश्य चीन को नियंत्रित करना है, जबकि 17.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार से 'हिंद-प्रशांत का यह विचार क्षेत्रीय सुव्यवस्था में आसियान की प्रासंगिकता एवं स्थिति कमजोर करने' की कोशिश कर रहा है. एक लंबे वक्त से जिस एक मॉडल का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा था, वह एशिया-प्रशांत रहा है. जिसके अंतर्गत उत्तर-पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण एशिया के अलावा प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर तथा हिंद महासागर जैसे बड़े सामुद्रिक विस्तार के देश शामिल थे.

यह नया विचार हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर में अवसरों तथा चुनौतियों की एकरूपता भी दिखाता है. सतत आर्थिक विकास, अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता एवं सामाजिक एकता ने एशिया की प्रमुख शक्तियों को इस हेतु समर्थ बनाया है कि वे एजेंडा तय करने तथा वैश्विक नियमन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें. इन बदलती वैश्विक आर्थिक तथा रणनीतिक वास्तविकताओं के बीच एशिया एक धुरी के रूप में उभरा है. हिंद-प्रशांत की इस विकसित होती सोच का नतीजा विविध विचारों एवं दृष्टियों के रूप में सामने आया है. जापान, भारत, इंडोनेशिया और अन्य आसियान देश क्षेत्रीय आर्थिक राजनय, नियम आधारित सुव्यवस्था और साझी रुचियों को लेकर सहयोग पर बल देते हुए अधिक सक्रिय दिखते हैं. वहीं, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई नजरिया भी, जो पहले चीन विरोधी लगता था, अब विकसित हो रहा है.

अमेरिका के हिंद-प्रशांत कमांड के कमांडर एडमिरल फिलिप एस डेविडसन ने नयी दिल्ली में आयोजित एक पैनल चर्चा में रेखांकित किया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का उद्देश्य समुदायों का निर्माण करना है, न कि विरोधों का. इसके उद्देश्य के रूप में चीन के नियंत्रण की बात पर उन्होंने यह भी कहा कि हिंद-प्रशांत नीति किसी के नियंत्रण की नीति नहीं है. एक अन्य मौके पर उन्होंने यह दोहराया कि 'हिंद-प्रशांत एक ऐसा इंजन है, जो वैश्विक आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है.' इसके साथ ही उन्होंने 'एक स्वतंत्र तथा खुले हिंद-प्रशांत' की विस्तृत व्याख्या करते हुए उसके पांच मुख्य घटकों का उल्लेख भी किया, जो इस प्रकार हैंः पहला, 'दूसरे राष्ट्रों द्वारा बलपूर्वक बाध्य किये जाने से मुक्त' होने के साथ ही 'मूल्यों तथा आस्था प्रणाली' के लिहाज से भी स्वतंत्र'; दूसरा, धार्मिक आजादी एवं सुशासन समेत 'व्यक्तिगत अधिकार एवं आजादियां'; तीसरा, 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साझे मूल्य'; चौथा, 'जिन सागरों एवं हवाई मार्गों पर हमारे राष्ट्र एवं अर्थव्यवस्थाएं आश्रित हैं, उन तक बंधनमुक्त पहुंच'; एवं पांचवां, 'खुला निवेश वातावरण, राष्ट्रों के बीच पारदर्शी समझौता, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा, निष्पक्ष एवं पारस्परिक व्यापार'.

हिंद-प्रशांत की इस अवधारणा पर भिन्न-भिन्न दृष्टि होते हुए भी उसके मुख्य संगठनात्मक सिद्धांतों पर सबकी सहमति दिखती है, जो बड़ी शक्तियों के साथ ही इस विशाल सामुद्रिक क्षेत्र के चारों ओर बसे देशों के आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी रिश्तों को गुंफित करते हैं. ये सिद्धांत इस प्रकार हैंः नौवहन तथा हवाई उड़ानों की स्वतंत्रता; संप्रभुता तथा भौगोलिक अखंडता के प्रति सम्मान; आकार एवं शक्ति से परे सभी राष्ट्रों की समानता; विवादों का शांतिपूर्ण समाधान; अंतरराष्ट्रीय कानूनों के लिए सम्मान; खुली तथा स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था; सामुद्रिक संसाधनों का सतत विकास; आसियान-नीत तंत्र द्वारा स्थिरीकृत सामुद्रिक संरक्षा एवं सुरक्षा; और भौतिक, डिजिटल, तकनीकी तथा जनता के जनता से जुड़ाव का पोषण करना.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद-प्रशांत को लेकर भारत के विजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसे एक 'नैसर्गिक क्षेत्र' तथा असीमित वैश्विक अवसरों एवं चुनौतियों का स्थल बताया है. उन्होंने हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की दृष्टि को भौगोलिक तथा सभ्यतामूलक दोनों बोध में एक स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी क्लब के रूप में प्रस्तावित किया है, जो सबकी समृद्धि के लिए खुला हो. 'सबके लिए सुरक्षा तथा विकास' की शब्दावली में मोदी का यह विजन भली-भांति समाहित हो जाता है.

(अनुवादः विजय नंदन)

बोधि वृक्ष

धर्म और इष्ट

इष्ट क्या है? इष्ट का अर्थ है- जिस चीज को तुम सबसे अधिक चाहते हो, वह तुम्हारा इष्ट है. एक को अगर कहें 'क्षुद्र मैं' तो दूसरा है 'वृहत् मैं'. वही 'वृहत् मैं' हुए परमपुरुष. क्षुद्र में हुआ क्षुद्र-सुख और वृहत् मैं हुआ वृहत्-सुख. क्षुद्र सुख प्रत्येक व्यष्टिसत्ता के लिए प्रिय है, किंतु वृहत्-सुख सभी के लिए सबसे अधिक प्रिय है. तो क्षुद्र-सुख जहां व्यष्टिगत चीज है, वृहत्-सुख वहां सार्विक सुख है. अतः वह वृहत्-सुख ही हैं परमपुरुष,. दर्शन कहता है कि विश्वब्रह्मांड का जो नियंत्रणकारी बिंदु है, वही हैं परमपुरुष- वे सृष्टि चक्र के केंद्र में अवस्थान करते हैं. मनुष्य वैयष्टिक ईश्वर को चाहता है, जिसे वह प्यार कर सकेगा, जिनको वह अपना सुख-दुख और आनंद का निवेदन कर सकेगा. मनुष्य एक ऐसे पुरुष को चाहता है, एक ऐसी वैयष्टिक सत्ता को चाहता है, जिसको वह अपने अंतर के संपूर्ण भाव से निवेदन कर सके. वह चाहता है, ईश्वर को सोलह आना आश्रय बनाने के लिए. स्वप्न का जाल बुनकर, मनुष्य अल्प क्षण के लिए सुख शांति पाता है, स्थायी शांति नहीं पाता है. मनुष्य ऐसे एक पुरुष को चाहता है, जिसे वह सब कुछ सुना सकता है, समझा सकता है. इसी को कहते हैं इष्ट. अब धर्म के साथ इष्ट का पार्थक्य क्या है? जिसने तुम्हें धारण किया है, वही तुम्हारा धर्म है. गुणों में ही जीव धृत है. हम लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीजन है. इसमें यह गुण हैं. यह अग्नि है, इसमें यह गुण है, यह मरुत् है, इसमें यह गुण है. सभी वस्तुएं गुण के द्वारा ही चिह्नित होती हैं. अग्नि में यदि दाहन शक्ति न रहे, तो उसे हम अग्नि नहीं कहते. वायु में यदि चलमानता न रहे, उसे हम वायु नहीं कहते. गुण के द्वारा गुणी, जीव-अजीव, जड़-चेतन, स्थावर-जंगम अपनी पहचान और अस्मिता को कायम रखता है. मनुष्य, जीव, उद्भिद-सभी का प्राण है. मनुष्य और जीव-जंतु में सामान्य धर्म यह है कि ये सभी आहार करते हैं, सोते हैं और मरते हैं. किंतु मनुष्य में है भागवत धर्म और पशु में वह नहीं है. यही है मनुष्य का वैशिष्ठ्य.

श्रीश्री आनंदमूर्ति

आपके पत्र

कोर्ट का समय होगा बर्बाद

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राज्यों की आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों को उनका दर्जा मिले. सुप्रीम कोर्ट ने में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को तीन महीने में अल्पसंख्यकों को मिले दर्जे को फिर से परिभाषित करने को कहा है. दरअसल, अब तक अल्पसंख्यक का दर्जा देश को एक इकाई मान कर दिया गया है. शिक्षा को छोड़ कर अन्य किसी क्षेत्र में इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता. उत्तर पूर्व के चार राज्यों में हिंदुओं की संख्या दो से 40 फीसदी तक है. जम्मू-कश्मीर, पंजाब व लक्ष्यद्वीप में भी हिंदुओं की जनसंख्या कम है, तो क्या इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए? आज इसकी राज्यवार मांग की जा रही है. कल जिले के अनुसार मांग की जायेगी. इन सब बातों से शीर्ष अदालत का मूल्यवान समय बर्बाद किया जा रहा है.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

भाषा पर संयम बरतें पार्टियां

चुनाव का दौर है. सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर वार-पलटवार के लिए जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह बेहद अशोभनीय व अशिष्ट है. ठीक है कि समय चुनाव का है, तो आरोप-प्रत्यारोप लगाना लाजमी है, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? 'चोर' या 'किन्नर' जैसे शब्दों का प्रयोग अशिष्टता को दर्शाता है. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी पार्टी इससे बची हुई नहीं है. यह सच है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भाषा की मर्यादाओं की सीमा लांघकर अपनी बात रखी जाए. ऐसे अपशब्दों के इस्तेमाल से देश का माहौल खराब होता है. पार्टियां अपनी मर्यादाओं को न भूलें और भाषाओं की सीमा में रह कर राजनीति करें, भाषण दें, ताकि श्रोताओं को भी सुनने में अच्छा लगे.

शुभम गुप्ता, नावागढ़, धनबाद

प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा

अभी दुनिया के बहुत से देश भीषण ठंड से गुजर रहे हैं. कई जगह तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया. भीषण बर्फबारी हो रही हैं. अपने देश के दक्षिणी प्रांतों में भी सर्दी पहुंच गयी है, जहां ऐसा नहीं होता था. जो क्षेत्र आज भयंकर ठंड से जूझ रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में भीषण गर्मी भी होगी. गर्मी से बचाव में हम बहुत कार्बन भी उत्सर्जित करेंगे. इन ग्रीन हाउस गैसों को सोखने वाले जंगल भी तेजी से घट रहे हैं. हर बार मार्च से ही, जब गर्मी पूरी तरह से नहीं आती, पानी के लिए हाहाकार मच जाता हैं. पिछले ही साल जहां केरल में विनाशकारी भीषण बाढ़ आयी थी, वहीं झारखंड और बिहार में धान का रोपा भी पूरी तरह से नहीं हुआ. पृथ्वी का तापमान हर वर्ष बढ़ रहा हैं. अगर मनुष्य नहीं चेता और प्रकृति का सम्मान नहीं हुआ, तो धरती माता रौद्र रूप धारण कर मनुष्यता का विनाश कर देंगी. इसके लिए सिर्फ हम-आप दोषी होंगे.

सीमा साही , बोकारो

कुछ अलग

खालिस प्रेम का वसंत

मुकेश कुमार
युवा रचनाकार
harpalmukesh@gmail.com

प्रेम पर जितना लिखा जाये कम है. प्रेम पर लिखते हुए दुनिया के सारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं. कबीर ने सच ही कहा है- 'पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय'. सचमुच कबीर ने मनुष्य के हर महीन भाव को भी पकड़ लिया. प्रेम में कई बार जब सारी व्याख्याओं के बाद भी संप्रेषण अधूरा रह जाता है, तब एक मौन ही सब कुछ कह देता है. ऐसा होता है प्रेम. जिसने कभी इश्क नहीं किया, वह इसको शायद ही समझ पाये. पर जिसने अपने जीवन में इश्क की कशिश को महसूस किया है, वही समझ सकता है. जनाब, मोहब्बत के इस मर्ज में कभी मजा भी है, तो कभी सजा भी है.

मोहब्बत का न तो कोई खास दिन होता, न ही इंसान के किसी भी एहसास के लिए कोई तय वक्त हो सकता है. वह तो अलग-अलग मौकों पर खुद एहसास बनकर प्रदर्शित होता है, जिसे हम जीते हैं. बाजार ने अब मोहब्बत के लिए भी एक दिन बना लिया है. जब उसका मन एक दिन से भी नहीं माना, तो उसने कई दिन बना दिये, ताकि आप कभी टेडी खरीदें, कभी चॉकलेट खरीदें, कभी फूल खरीदें. अगर आप पैसे वाले हों, तो महंगे से महंगा गिफ्ट खरीदें, क्या फर्क पड़ता है. जब देनेवाला राजी तो लेनेवाले को क्यों परेशानी होगी.

वैलेनटाइन डे के बहाने जब से लेन-देन का मामला आया है, प्यार थोड़ा शर्मिंदा तो हुआ ही है. वह कभी महंगे-महंगे गिफ्ट नहीं मांगता. वह वक्त मांगता है, लिहाज मांगता है. विश्वास, समर्पण और सच्चाई तो उसकी पहली पसंद है ही. लेकिन, इंसान की फितरत कुछ ऐसी बदली कि अब इश्क में भी मिलावट हो गयी. अब कभी इश्क जिंदगी को जीने का बहाना है, तो कभी इश्क स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में टाइम पास करने का जरिया है. हो सकता है आपका प्रेम आपको कई बार मुश्किलों के भंवर से दूर भगाये, एक नयी ऊर्जा से भर दे, लेकिन कई बार आपके इश्क की नाकामी आपको दुखी भी कर सकता है. दूर तलक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है.

पहले इश्क में फूल फेंके जाते थे और अब एसिड! यह कैसा प्रेम है भाई? अगर आपको इकरार की गुंजाइश समझ में आती है, तो इनकार को भी समझना चाहिए. अपने मतलबी प्रेम के प्रतिशोध में संयम नहीं खोना चाहिए और अपने साथी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए. यह याद कीजिए कि उसके साथ आप ने कितने ही मधुर पल बिताये हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो यह इश्क नहीं हो सकता.

यह सच है बाजारी प्रेम के इस दौर में लोग इश्क का झंडा लहराते तो बड़े जोर-शोर से हैं, पर उन्हें इश्क के किले को फतह करने का कोई शौक नहीं, बस थोड़ी देर के लिए इसके थ्रिल को फील करने का जोशभर है. लेकिन, यह भी उतना ही बड़ा सच है कि इस मिलावटी प्रेम के दौर में भी खालिस प्रेम ही बचा रहेगा. ऐसे जोड़े बचे रहेंगे. बची रहेगी यह प्रेम की दुनिया और बचा रहेगा यह मधुर वसंत.

देश दुनिया से

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के खिलाफ चीन का गुस्सा

पांच फरवरी की शाम (चीनी नव वर्ष के पहले दिन), ऑस्ट्रेलिया के समाचारपत्र 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' ने खुलासा किया कि आव्रजन अधिकारियों ने चीनी अरबपति हुआंग शिंग्मो के नागरिकता आवेदन और यहां उनके स्थायी निवासी का दर्जा रद्द कर दिया है. आव्रजन अधिकारियों के इस कदम ने हुआंग को अपने परिवार से मिलने और ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करने से रोक दिया. ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे अपने नियम को दुरुस्त बनाये रखें. लेकिन हुआंग के मामले में उनके तथाकथित चरित्र को आधार बनाकर जो निर्णय लिया गया, वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं है. ऐसे निर्णय और ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाये गये आरोपों के साथ ही, पिछले दो वर्षों के दौरान कई मीडिया रिपोर्टों का यह दावा कि हुआंग जासूसी गतिविधि और गैरकानूनी राजनीतिक लेन-देन में संलिप्त था, संदेह उत्पन्न करता है. इनमें से कई आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं. हुआंग पर ऐसे ही आरोप लगाने के लिए वर्ष 2017 में मेलबॉर्न के समाचारपत्र 'द हेराल्ड सन' ने एक माफीनामा जारी किया था. यानी हुआंग एक बार फिर चीन विरोधी उन्माद का शिकार हुए हैं, जिसका उद्देश्य देशभर में चीन और चीनी व्यवसाय को लेकर घृणा को बढ़ावा देना है.

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है